न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या–110 / 2019

विशाल गिरि पुत्र सुरेन्द्र पाल जाति गुसांई साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी

बनाम

1–सुरेन्द्र पाल पुत्र भूपसिंह जाति गुसांई साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

2–शान्ती पत्नी भूपसिंह जाति गुसांई साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

3–उर्मिलादेवी पुत्री भूपसिंह जाति गुसांई साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

4–इन्द्रादेवी पत्नी सुरेन्द्रपाल जाति गुसांई साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

5–रेनू गिरि पुत्री सुरेन्द्रपाल जाति गुसांई साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

6–तहसीलदार राजस्व संगरिया ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री ओम प्रकाश शर्मा – वकील वादीगण

2–श्री नवरत्न स्वामी– वकील प्रति सं.1 ता 5

निर्णय दिनांक :– 03.06.2019

वादी विशाल गिरि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत इस्तकरार हक के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का सगा पिता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 वादी की सगी दादी एवं प्रतिवादीया संख्या 3 वादी की सगी माता तथा प्रतिवादीया संख्या 4 वादी की सगी बहन है। मुझ वादी के पिता एवं मृतक दादा के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.के.एस. खाता सं. 208 / 18 में कुल 2.530 है0 कृषि भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में है। नकल जमाबन्दी हमराह दावा है। दावा की सही स्थिति समझने के लिए वादी ने अपने परिवार की वंशावली दर्ज की है। नकल जमाबन्दी हमराह दावा है। जो दावे का आधार है। वादी के पिता एवं मृतक दादा के नाम से दावा की दफा दो में दर्ज आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की जद्दी जायदाद अर्थात् विरास्तन सम्पति है,जिसमें वादी का जन्मजात हिस्सा व हक बनता है। जिसे वादी जरिए घोषणा अपना जन्मजात हिस्सा अपने नाम कराने का मुश्तहक एवं दावेदार है। कि प्रतिवादीया संख्या 2 से 5 उक्त विरास्तन भूमि में किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहती उन्होने अपने–अपने हिस्से की भूमि वादी के पक्ष में छोड़ दी है जिसे वादी घोषणा द्वारा अपने नाम कराने का मुस्तहक एवं

दावेदार है। कि दावा के पहरा संख्या 2 में वर्णित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन वादी के हक व हिस्सा में चक नम्बर 14 एम.के.एस. खाता सं. 208/18 में कुल 2.530 है0 मे से 1/2 हिस्सा यानि 1.265 है0 भूमि आई है, जिस पर वादी की ही कब्जा काश्त है तथा शैष 1.265 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पास है। मुताबिक घरू विभाजन में मिली भूमि को वादी अपने नाम कराने का मुश्तहक एवं दावेदार है इसी अमर की घोषणात्मक डिकरी प्राप्त करने का वादी अधिकारी एवं दावेदार है। वादी ने प्रतिवादी संख्या एक को पिछले सप्ताह कहा कि वे वादी को दावा की पहरा सं. 5 के अनुसार हुए घरू विभाजन व वादी के जन्मजात हिस्सा को राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के नाम दर्ज करा देवे तथा भूमि को रहन बैय नहीं करे तो प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार कर दिया, बस यही वाद कारण है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन आदेश जारी किये गये। मुकर्र तारीख पैशी पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने जरिए वकील एवं स्वंय हाजिर आकर उक्त दावे में अपना जबाबदावा पेश किया जिसमें दावे को स्वीकार किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या संख्या 6 तहसीलदार संगरिया ने अपना जबाबदावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दावे में कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं की गई। साक्ष्य वादी में वादी ने अपना शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया तथा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदृर्शित करवाई गई। बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावे के तथ्यो को दोहराते दावा डिकरी किये जाने का अनुरोध किया जिसका वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने कोई विरोध नहीं किया। बहस वादी वकील व प्रतिवादीगण वकील की सुनने के बाद एवं पत्रावली का अवलोकन करने व दावा में कोई विरोध नहीं होने से दावा वादी के पक्ष में साबित पाया जाता है, अतः वादी का वाद डिकरी किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। कि वादी तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.के. एस. खाता सं. 208/18 में कुल 1.265 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इस प्रकार उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर मृतक भूपसिंह का नाम कलमजन करने का आदेश दिया जाता है। नोटः—यदि बैंक का कोई ऋण बकाया हो तो बकाया न होने का प्रमाण पत्र पैश होने पर नामान्तरण कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिगरी मुकदमें इब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–110 / 2019

विशाल गिरि पुत्र सुरेन्द्र पाल जाति गुसांई साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी

बनाम

1–सुरेन्द्र पाल पुत्र भूपसिंह जाति गुसांई साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

2–शान्ती पत्नी भूपसिंह जाति गुसांई साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

3–उर्मिलादेवी पुत्री भूपसिंह जाति गुसांई साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
4–इन्द्रादेवी पत्नी सुरेन्द्रपाल जाति गुसांई साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

5–रेनू गिरि पुत्री सुरेन्द्रपाल जाति गुसांई साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

6–तहसीलदार राजस्व संगरिया ।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.के.एस. खाता सं. 208 / 18 में कुल 1. 265 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इस प्रकार उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर मृतक भूपसिंह का नाम कलमजन करने का आदेश दिया जाता है। नोटः–यदि बैंक का कोई ऋण बकाया हो तो बकाया न होने का प्रमाण पत्र पैश होने पर नामान्तरण कार्यवाही करे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 03.06.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया